सरकूलर नं0: अपमा/2014–2016/382

दिनांक : 3-11-2016

## 48वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना

दिनांक	— 28 नवम्बर, 2016
दिन	– सोमवार
समय	– अपराहन् 3.00 बजे
स्थान	— ''अपमा कार्यालय''
	10, प्रथम तल, वरदान हाऊस, चाबी गंज,
	कश्मीरी गेट, दिल्ली—110006.

प्रिय व्यापारी भाईयों,

सभी अपमा सदस्यों को सूचित किया जाता है कि अपमा कार्यकारिणी की 26वीं बैठक बृहस्पतिवार दिनांक 27–10–2016 को अपमा कार्यालय में सम्पन्न हुई, इस बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि ऑटोमोटिव पार्ट्स मर्चेन्ट्स एसोसियेशन(अपमा) की <u>48वीं वार्षिक साधारण सभा का आयोजन (Under the Provisions Parts-VI</u> <u>Article 36(a) of the Articles of Association), सोमवार दिनांक 28 नवम्बर, 2016</u> को अपराहन् 3.00 बजे ''अपमा कार्यालय'' 10, प्रथम तल, वरदान हाऊस, <u>चाबी गंज, कश्मीरी गेट, दिल्ली–110006</u> में किया जाये। अतः आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि बैठक में समय से पधारकर हमारा उत्साहवर्द्धन करें और नीचे दिये गये निम्नलिखित विचारणीय विषयों पर अपने विचार प्रदान करें। आपकी उपस्थिति इस सभा की सफलता है।

## विचारणीय विषय

- 01. पिछली वार्षिक साधारण सभा 47वीं (4–09–2015) की बैठक की कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।
- 02. अपमा के वर्ष 2015—2016 के आय—व्यय विवरण की ऑडिट रिपोर्ट सभा में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।
- 03. महासचिव का प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत एवं अपमा की गत वर्ष की गतिविधियों का पुनर्विलोकन।
- 04. वर्ष 2016–2017 के लिए ऑडिटर की नियुक्ति।
- 05. चुनाव आयुक्त द्वारा 2016–2018 के चुनाव परिणाम की संवैधानिक घोषणा।
- 06. नवनिर्वाचित प्रधान का पद ग्रहण एवं उनका वक्तव्य।
- 07. अन्य विषय प्रधान जी की अनुमति से।
- 08. राष्ट्रीयगान |

## ( आर.के. गुप्ता ) महासचिव

कृ०प०उ०......2

अपमा की 47वीं वार्षिक साधारण सभा की कार्यवाही विवरण

दिनांक	_	4 सितम्बर, 2015
दिन	—	शुक्रवार
समय	—	अंपराहन् 3.00 बजे
स्थान	—	''अपमा कार्यालय'' 10, प्रथम तल, वरदान हाऊस,
		<u>चाबी गंज, कश्मीरी गेट, दिल्ली—110006.</u>

अपमा की 47वीं वार्षिक साधारण सभा प्रधान श्री रामदास कुकरेजा जी की अध्यक्षता में शुक्रवार दिनांक 4 सितम्बर, 2016 को ''अपमा कार्यालय'' फ्लैट नं0 10, प्रथम तल, वरदान हाउस, चाबी गंज, कश्मीरी गेट, दिल्ली–110006 में दोपहर 3.00 बजे आयोजित हुई। कोरम पूरा न होने के कारण प्रधान जी ने सभा को अपमा संविधान की धारा 35(II) के अनुसार आधे घन्टे के लिए स्थगित कर दिया गया। सभा की पुनः कार्यवाही ठीक साढ़े तीन बजे प्रारम्भ करते हुए, सर्वप्रथम प्रधान श्री रामदास कुकरेजा जी ने आए हुए पूर्व प्रधानों, कार्यकारिणी सदस्यों व अपमा के माननीय सदस्यों एवं अतिथियों का स्वागत किया और प्रार्थना की, कि सभा की कार्यवाही अनुशासित ढंग से चलाई जाए। इसके बाद प्रधान जी ने कहा कि हमारे पूर्व प्रधान श्री आर.एन. ग्रोवर जौ का दिनांक 2–9–2015 को आकस्मिक निधन हो गया था, उनकी आत्मा की शान्ति के लिए एवं पिछली वार्षिक साधारण सभा एवं इस वार्षिक साधारण के अन्तराल में जो हमारे प्रिय सदस्य या उनके सगे संबंधी एवं बडे बुर्जुग हमसे बिछुड़ गए, उनकी आत्मा की शान्ति के लिए दो मिनट का मौन रखकर श्रदांजलि दी जाएँ। इस पर सदन में उपस्थित सभी सभासदों ने दो मिनट का मौन धारण किया। तत्पश्चात प्रधान जी ने महासचिव श्री रामदास कुकरेजा जी से अनुरोध किया कि वे सभा की आगे की कार्यवाही प्रारम्भ करें। महासचिव महोदय जी ने प्रधान जी को धन्यवाद व्यक्त कर सदन में उपस्थित सभी पूर्व प्रधानों, कार्यकारिणी सदस्यों, अपमा सदस्यों एवं अतिथियों का अभिनंदन करते हुए सभा की कार्यवाही एजेण्डा के अनुसार प्रारम्भ की।

01. <u>पिछली वार्षिक साधारण सभा 46वीं (12–11–2014)</u> की बैठक की कार्यवाही विवरण का अनमोदन।

<u>अनुमोदन |</u> सचिव श्री आर.के.

महासचिव श्री आर.के. गुप्ता जी ने कहा कि पिछली 46वीं वार्षिक साधारण सभा(12–11–2014) के कार्यवाही विवरण जो कि सदस्यों को पहले ही वितरित किया हुआ था, को पास करने हेतु राय मांगी गई। इस पर पूर्व प्रधान श्री तारेश बाईसीवाला जी ने पिछली कार्यवाही विवरण के पेज नं0 7 में से रखरखाव शब्द हटा देना चाहिए, इसकी जगह पर नवीनीकरण शब्द लिखा जाए एवं पेज नं 7 में मैंनें नवीनीकरण हेतु बजट के लिए 12 लाख रूपये के लिए कहा था, इसलिए कायवाही विवरण में 12 लाख रूपये लिखा जाना चाहिए। इस पर पधान श्री रामदास कुकरेजा जी ने वार्षिक साधारण सभा की 46वीं बैठक की कार्यवाही विवरण में उपरोक्त तत्पश्चात पूर्व प्रधान श्री तारेश बाईसीवाला जी ने पिछली 46वीं वार्षिक साधारण सभा की रपट हेतु अपना अनुमोदन सदन में रखा तथा अपमा सदस्य श्री सुभाष बजाज जी ने अपना समर्थन किया। सदन ने सर्वसम्मति से अपमा की 46वीं वार्षिक साधारण सभा की कार्यवाही विवरण को पास किया गया।

02. अपमा के वर्ष 2014–2015 के आय–व्यय विवरण की ऑडिट रिपोर्ट सभा में

<u>अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।</u>

महासचिव आर.के. गुप्ता जी ने वर्ष 2014–2015 के आय–व्यय का लेखा–जोखा(Balance Sheet) सदस्यों के सन्मुख रखा गया। इस पर पूर्व प्रधान श्री तारेश बाईसीवाला जी ने सुझाव दिया कि हमें दानदाताओं से उनका पैन नम्बर लेना चाहिए नही तो भविष्य में दिक्कत आ सकती है। इस पर प्रधान जी ने कहा कि सी.ए. के अनुसार दानदाताओं के पैन नम्बर मांगे गये थे, भविष्य में सभी दानदाताओं से पैन नम्बर लिये जाए। इसके बाद निवर्तमान प्रधान श्री तारेश बाईसीवाला जी ने कहा कि जिन साधारण सभा ने तीन सालों से अपना वार्षिक सदस्यता शुल्क नहीं दिया है उनकी सदस्यता निरस्त कर देनी चाहिए। इस पर प्रधान श्री रामदास कुकरेजा जी ने कहा कि अभी 11 ऐसे सदस्य है जिन्होंने अपना सदस्यता शुल्क नहीं दिया है उनको नोटिस भेज दिये गये है। इसके बाद कार्यकारिणी सदस्य श्री अशोक मदान जी ने सत्र 2014–2015 के आय–व्यय का लेखा–जोखा हेतु अपना अनुमोदन सदन में रखा तथा अपमा सदस्य श्री अशोक भान जी ने अपना समर्थन किया। इसके उपरान्त सदन ने सर्वसम्मति से वर्ष 2014–2015 के लेखा–जोखा को पास कर दिया।

03. <u>महासचिव का प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत एवं अपमा की गत वर्ष की गतिविधियों का</u> पुनर्विलोकन।

महासचिव श्री आर.के. गुप्ता जी ने, गत वर्षों की गतिविधियों का पुनर्विलोकन करते हुए सदस्यों को जानकारी दी एवं कहा कि इसकी प्रतिलिपि पहले से सभी सदस्यों को प्रदान की दी गई थी। इस पर अपमा सदस्य श्री राज कुमार गांधी जी ने अपना अनुमोदन सदन में रखा तथा उप प्रधान श्री सुरेन्द्र जैन जी ने अपना समर्थन किया। इसके बाद सदन ने सर्वसम्मति से महासचिव का प्रतिवेदन पास कर दिया। 04. वर्ष 2015-2016 के लिए ऑडिटर की नियुक्ति।

महासचिव श्री आर.के. गुप्ता जी ने सदन को बताया कि पिछले कई वर्षो से मै० जिन्दल एण्ड कम्पनी अपमा के आय—व्यय के लेखे—जोखे को आडिट करती रही है। इसके बाद सदन की राय जाननी चाहिए कि मै० जिन्दल एण्ड कम्पनी को ही वर्ष 2015—2016 के लिए ऑडीटर नियुक्त किया जाए। इस पर निवर्तमान प्रधान श्री तारेश बाईसीवाला जी ने कहा कि बैलेंस शीट के साथ ऑडिट रिपोर्ट नहीं लगायी गयी है। इसके बाद मै० जिन्दल एण्ड कम्पनी को ऑडिटर नियुक्त हेतु कार्यकारिणी सदस्य श्री सुभाष सचदेवा जी ने अपना अनुमोदन सदन में रखा तथा कार्यकारिणी सदस्य श्री मनजीत सिंह जी ने अपना समर्थन किया। इसके बाद सदन ने सर्वसम्मति से अपमा के खातों को ऑडिट करने हेतु मै० जिन्दल एण्ड कम्पनी को वर्ष 2015—2016 के लिए पुनः ऑडिटर सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया।

05. प्रस्तावित संविधान संशोधन के सन्दर्भ में।

प्रधान श्री रामदास कुकरेजा जी ने कहा कि अपमा के सभी सदस्यों को सरकूलर के माध्यम से संविधान में संशोधन हेतु सुझाव मांगे थे परन्तु कोई सुझाव नहीं आया है। इस पर पूर्व प्रधान श्री चन्द ओबराय जी ने कहाँ कि संविधान में संशोधन हेतु मैंने भी सुझाव दिये है, वक्त के अनुसार मेरा आग्रह है कि संविधान संशोधन होने चाहिए, इसके लिए सर्वप्रथंम संविधान संशोधन कमेटी गठित किया जाना चाहिए एवं संविधान संशोधन सुझावों को पहले कार्यकारिणी बैठक में रखकर विचार–विमर्श कर पारित सुझावों को संविधान संशोधन कमेटी को भेज देना चाहिए ताकि संविधान संशोधन कमेटी उन सुझावों पर अपनी राय देकर उन सुझावों को कार्यकारिणी को पुनः भेज ताकि कार्यकारिणी संविधान संशोधन कमेटी द्वारा उन सुझावों पर विचार–विमर्श कर संविधान संशोधन सुझावों को पारित कर सरकूलर क माध्यम से सदस्यों को भेज देवें ताकि आगामी वार्षिक साधारण सँमा में उन सुझावों को सदन में रखकर उन को पारित करवाया जा सक। इसके बाद निवर्तमान प्रधान श्री तारेश बाईसीवाला जी ने कहा कि संविधान संशोधन हेतु इस विषय को कार्यकारिणी बैठक के एजेण्डे में रखना चाहिए, उसके बाद अपमा सदस्यों से संविधान संशोधन सुझावों हेतू मार्किट में सरकूलर प्रकाशित किया जाना चाहिए, इसके बा सदस्यों से प्राप्त संविधान सुझावों को कार्यकारिणी बैठक में विचार–विमर्श कर उन सुझावों को संविधान संशोधन कमटी के पास भेजना चाहिए ताकि संविधान संशोधन कमेटी कार्यकारिणी द्वारा भेजे गये सुझावों पर अपनी राय दे सकें फिर उन सुझावों को पुनः कार्यकारिणो बैठक में विचार-विमर्श कर वार्षिक साधारण सभा में प्रस्तुत करना चाहिए।

06. अन्य विषय प्रधान जी की अनुमति से।

(क) निवर्तमान प्रधान श्री तारेश बाईसीवाला जी ने कहा कि कर्न्वजन शुल्क हेतु व्यापारी भाईयों को नोटिस प्राप्त हो रहें है, इस विषय में संस्था को तरफ से क्या कार्यवाही की जा रही है। इस पर प्रधान श्री रामदास कुकरेजा जी ने बताया कि कर्न्वजन शुल्क की समस्या के समाधान हेतु आपकी संस्था अपमा एवं डी.एम.टी.ए. संस्था द्वारा हाईकोर्ट में संयुक्त याचिका डाली गयी, जिसके फलस्वरूप हाईकोर्ट से हमें स्टे मिल गया, हाईकोट के फैसले के अनुसार जिन व्यापारी भाईयों को दिल्ली नगर निगम द्वारा कर्न्वजन एवं पार्किंग शुल्क जमा करवाने हेतु नोटिस प्राप्त हुए थे, उन्हीं को अपना जवाब स्वयं दिल्ली नगर निगम में जमा करवाना था। अदालत की अवमानना करते हुए दिल्ली नगर निगम के अधिकारी कश्मीरी गेट स्थित चर्च रोड प्रतिष्ठानों को सीलिंग करने हेतु आये, जिसका अपमा पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों ने घोर विरोध किया, जिसके कारण दिल्ली नगर निगम के अधिकारी प्रतिष्ठानों पर सीलिंग नहीं कर सकें। दिल्ली नगर निगम द्वारा अदालत की अवमानना करने हेतु संस्था की तरफ से दिल्ली नगर निगम को अदालत की तरफ से नोटिस भेजें गये है। यदि हमारे किसी व्यापारी को कोई नोटिस आये है तो कृपया अपमा कार्यालय में उसकी एक कापी अवश्य भेज दे ताकि हम वकील को बता सकें एवं आगे की कार्यवाही सुनिश्चित कर सके। इसके बाद पूर्व प्रधान श्री नरन्द्र मदान जी ने कहा कि हाईकोर्ट की फटकार के बचाव हेतू दिल्ली नगर निगम ने जल्दबाजी में गलत नोटिस भेज दिये है, उनको कम से कम 15 दिन का नोटिस भेजना चाहिए था। सोमवार को हाईकोर्ट में सुनायी है, इसलिए जिन सदस्यों को गलत नोटिस आये है वो अपमा कार्यालय मं भिजवा दे ताकि कोर्ट में उनको प्रस्तुत किया जा सकें।

(ख) प्रधान श्री रामदास कुकरेजा जी ने कहा कि हमारी संस्था को फैसपदा की सदस्यता लेने हेतु अनुरोध किया गया है। इस पर पूर्व प्रधान श्री चन्द्र ओबराय जी ने कहा कि पिछले चार सालों से फैसपदा संस्था ने व्यापारो हित के लिये क्या किया ह एवं दिल्ली मोटर ट्रेडर्स एसोसियेशन ने जोकि फैसपदा संस्था से जुड़ी थी, अब जबकि उसने फैसपदा से अपनी सदस्यता खत्म कर दी है जिसके कारण एक वोट के रिक्त स्थान को भरने हेतु हमारी संस्था से अनुरोध किया जा रहा है, इसका मैं बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूँ। इस पर सदन में उपस्थित समासदों ने फैसपदा की सदस्यता नहीं लेने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान की।

07. राष्ट्रीयगान।

अन्त में पूर्व प्रधान श्री ओ.पी.घई जी ने सभी पूर्व प्रधानों, पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों, अपमा सदस्यों एवं अतिथियों का आभार व्यक्त किया एवं सभी से जलपान ग्रहण करने हेतु अनुरोध किया। राष्ट्रगान के बाद प्रधान श्री रामदास कुकरेजा जी द्वारा 47वीं वार्षिक साधारण सभा की समाप्ति की घोषणा कर दी गयी।

> (रामदास कुकरेजा) प्रधान

( आर.के. गुप्ता ) महासचिव

-: 3 :--